

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

धारा 144 सीपीसी प्रकरण संख्या 245/2025 (GCMS : 2025/368)

दिलमोहन सिंह पुत्र हरभजन सिंह जाति अरोड़ा सिख निवासी 29 जीबी तहसील श्रीविजयनगर जिला श्रीगंगानगर

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान

01.05.2026



प्रार्थी के अधिवक्ता श्री तेज सिंह एवं अप्रार्थी की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री गुरजीत सिंह वानर उपस्थित हुए। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं को सुना गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया कि एक सिलिंग प्रकरण अनवानी सरकार बनाम माधुरी सिंह अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें प्रार्थी ने धारा 144 सीपीसी का आवेदन प्रस्तुत किया था।

उनका आगे यह भी कथन है कि उक्त सिलिंग प्रकरण अनवानी सरकार बनाम माधुरी सिंह एवं उसके संलग्न 144 सीपीसी के आवेदन प्रार्थना पत्र अति. जिला कलक्टर, प्रशासन, श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन थे। किन्तु जब नये जिला, अनूपगढ़ को गठन किया गया तो क्षेत्राधिकारी अनूपगढ़ जिले का होने के कारण, मूल पत्रावली मय उसके संलग्न 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी जिला कलक्टर, अनूपगढ़ को स्थानान्तरित कर दिये गये।

उनका आगे यह भी कथन है कि जिला अनूपगढ़ का जब पुनः श्रीगंगानगर में विलय किया गया तो उक्त सीलिंग पत्रावली एवं उसके संलग्न 144 सीपीसी के आवेदन प्रार्थना पत्र की पत्रावलियां पुनः श्रीगंगानगर आ गईं, परन्तु समस्त अति. जिला कलक्टर के मध्य कार्यविभाजन के समय मूल सीलिंग पत्रावली अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को माननीय मण्डल द्वारा प्रतिप्रेषित(Remand) की गई थी इसलिए उक्त रि-ओपन सीलिंग पत्रावली अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित कर दी गईं, परन्तु उसके संलग्न 144 के आवेदन प्रार्थना पत्र की पत्रावलियां कार्यक्षेत्र के आधार पर अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को स्थानान्तरित कर दी गईं।

उनका आगे यह भी कथन है कि मूल रि-ओपन सीलिंग पत्रावली सरकार बनाम माधुरी सिंह अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसके संलग्न 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की, ताकि मूल सिलिंग रि-ओपन पत्रावली के साथ ही 144 सीपीसी के आवेदन पत्र का भी निर्णय हो सके।

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर




इसके विपरीत राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि मूल रि-ओपन सीलिंग पत्रावली सरकार बनाम माधुरी सिंह, अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) के न्यायालय को माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा प्रतिप्रेषित(Remand) की गई है. इसलिए उससे सम्बन्धित 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को ही स्थानान्तरित किये जाने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैंने अधीनस्थ न्यायालय की टिप्पणी दिनांक 17.10.2025 का अवलोकन किया और उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तो पाया कि मूल रि-ओपन सीलिंग पत्रावली सरकार बनाम माधुरी सिंह अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसके संलग्न 144 सीपीसी के प्रार्थना पत्र भी अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ से अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर के न्यायालय में स्थानान्तरित करने की प्रार्थना की है। अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि श्रीमानजी के कार्यविभाजन आदेश दिनांक 10.02.2025 द्वारा तहसील श्रीविजयनगर और सूरतगढ़ के विभिन्न राजस्व प्रकरणों की सुनवाई हेतु क्षेत्राधिकार आवंटित किया गया है। उक्त आदेश की पालना में तहसील विजयनगर की पत्रावली भी उनके न्यायालय में प्राप्त होकर सुनवाई हेतु जैरकार है, फिर भी उनके न्यायालय में लम्बित उक्त प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में मुंतकिल करने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है।

धारा 144 सीपीसी का मुख्य उद्देश्य पक्षों को उसी स्थिति में वापस लाना है, जिसे वे मूल आदेश उलट होने से पहले थे। चूंकि मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर द्वारा अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को प्रतिप्रेषित(Remand) किया है, इसलिए मूल प्रकरण पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर का बनता है। परस्पर विरोधी आदेशों से बचने और न्याय के सुगम संचालन हेतु सभी सम्बन्धित पत्रावलियों का एक ही न्यायालय में सुना जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इसलिए अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 60/2025 सीगा सीलिंग विविध 144 सीपीसी अनवान् दिलमोहन सिंह बनाम सरकार को अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को स्थानान्तरित किये जाने का प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत 144 सीपीसी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय की प्रति अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर एवं अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जाये। अति. जिला कलक्टर, सूरतगढ़ उक्त मूल पत्रावली 07 दिवस में अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर को भिजवाना सुनिश्चित करें। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 01.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर